

पीड़िता को इंसाफ दिलाने प्रदर्शन

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, अगस्त पश्चिम बंगाल में आजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हर राज्य शर गली मोहल्ले से एक ही आवाज सुनने को मिल रही है कि, इंसाफ दो इंसाफ दो। इसी कड़ी में महिला डॉक्टर के साथ दृष्टकर्म और उसके बाद उसको हत्या के मामले को लेकर राजधानी भोपाल में भी गुरुवार की शाम विरोध प्रदर्शन किया गया है।

कई कॉलेज के छात्र-छात्रों और महिलाओं ने एक साथ नरेला शंकरी चौराहे पर एकत्र होकर पुतले जलाए और नारेबाजी की। इन सभी ने यहाँ

मिलकर ममता सरकार को मुद्रावाद, महिला डॉक्टर को इंसाफ दो, महारी बहनों को सुरक्षा दो, बहनों को आजादी दो आदि नारे लगाए।

इन लोगों ने पुतला दहन के साथ मोमबत्तियां जलाकर कलकाता रेप और हत्या काड़ी पोड़ति महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौक पर मौजूद रही।



कृषि विशेषज्ञों ने किया सोयाबीन फसल का निरीक्षण

बैरसिया, 22 अगस्त, नजीबाबाद क्षेत्र के अधिकांश गांवों में खड़ी सोयाबीन की फसल बांझ रह गई है। किसानों ने सोयाबीन की खड़ी बांझ फसल को काटकर पश्यों और खिलाना शुरू कर दिया। इस बात की खबर लगते ही गुरुवार को अमित प्रताप सिंह सहायक संचालक कृषि विभाग भोपाल, कृषि विशेषज्ञों एवं पी सिंह और सीधी चौधारी नवीबाबाग भोपाल की टीम के साथ मलकारी पंचायत के गांव बैंडवेली खड़े पहुंचे। उनके साथ चरिष्ट कृषि विस्तार अधिकारी पीपी गोयल, विशाल दांगी, डॉ विवेक गुमास्ता, पंकज दास एवं बैरसिया जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत सिंह गुरुज एवं मलकारी पंचायत के सरपंच जीशन अहमद सहित किसान मौजूद रही।

दिव्यांगजनों के लिए चलित न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय में हुई बैठक में लिया निर्णय

► दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर होगा निराकरण

► सीधी सांसद की अधिक्षता में हुई बैठक

प्रशासनिक संचालदाता भोपाल, 22 अगस्त, प्रदेश में दिव्यांगजनों की समस्याओं के लिये जिला स्तर पर चलित न्यायालय की अधिक्षता करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश का प्रथम चलित न्यायालय 17 अक्टूबर को सीधी और सिंगरौली जिले में आयोजित किया जायेगा।

चलित न्यायालयों में दिव्यांगजनों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण प्राप्त करने में आ रही दिक्षितों का मौके पर ही निराकरण किया जायेगा।

आयुक्त रजक ने बताया कि चलित न्यायालय की व्यवस्थाओं के संबंध में आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय में संसद सीधी डॉ. जायेश मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

राज्य आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय में बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के लिये जिला स्तर पर चलित न्यायालय आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश का प्रथम चलित न्यायालय 17 अक्टूबर को सीधी और सिंगरौली जिले में आयोजित किया जायेगा।

चलित न्यायालयों में दिव्यांगजनों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण प्राप्त करने में आ रही दिक्षितों का मौके पर ही निराकरण किया जायेगा।

गौरवालय है कि दिव्यांगजनों के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रहीं हैं।

पुलिस ने पकड़ा सागौन से भरा लोडिंग ऑटो

चिक्कलोद रेंज को सौंपा बेशकीमती लकड़ी से भरा वाहन

मंडीरीप, 22 अगस्त, औबेदुल्लामांज बन मंडल के जगतों में इन दिनों सागौन साहत इमरती लकड़ियों की तस्करी जोरों पर है। लकड़ी माफिया बेंचिक जगलों से सागौन साहित कीमती लकड़ियों को काटकर उसका अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं और बन विभाग के अमले को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है। ऐसे ही एक मामले में सतलापुर पुलिस ने बीती रात गत के दौरान एक लोडिंग वाहन को रोक कर उसकी भाँति लकड़ी भी हुई थी। पुलिस ने लकड़ी से भरे और जास कर चिक्कलोद रेंज के सुरुद्वार कर दिया है, अब इस पूरे मामले में आपों की कार्रवाई बनारसी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ने अपने दो केंद्र और बंदरगाह आशीर्वाद दिया है।

सतलापुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि वह रात्रि गत पर इस दौरान मंडीरीप में नयापुरा के पास तेजी से जाता



लकड़ी भरी हुई मिली।

पुलिस ने जब औटो को रोकने की कोशिश की तो आटो चालक ने वर्धमान रोड पर औटो मोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने जब औटो को रोका तो उसमें सागौन की लकड़ी भरी हुई थी। पुलिस ने लकड़ी से भरे औटो को रोका तो उसमें लकड़ी की अवधिकारी की कार्रवाई कर रही थी। इसमें एक रेहान अहमद पुत्र इलायज, निवासी बरखेड़ा तथा अजीम पुत्र अब्दुल करीम सिरीकी निवासी ग्राम करमोदा बरखेड़ा शामिल हैं।

पश्चिम मध्य रेल

ई-निवादा सूचना, दिनांक: 21-08-2024

अधोहस्ताकर्ता द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-45-2024, कार्य का नाम: भाग(ए) गुना - लेटर्टाइम 1.2 और 3 पर CAMTECH डिजिन के अनुसार मौजूदा लेटर्टाइम 3.4 और 5 पर CAMTECH डिजिन के अनुसार तरियानी पारा की व्यवस्था का प्रावधान। (विद्युत कार्य), कार्य पूर्ण करने की अवधि: 04 माह, अनुपालित लागत रु.: 875639.14, अग्रिम रातीका रु.: 175100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24, एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-46-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल दो वर्ष होने की व्यवस्था के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 2767888.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24, एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-47-2024, कार्य का नाम: 12 शीर चौड़े कीली एफबी फॉब पर निवादा (2) गज बायोडा (2) गुना (2) नमंदापुरम (2) और नमंदापुरम (2) अप्रैल 2024 कार्य का नाम: भोपाल मंडल दो वर्ष होने की अवधि: 04 माह, अनुपालित लागत रु.: 81763723.21, अग्रिम रातीका रु.: 558800.00, निवादा बंद होने की अवधि: 09-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-48-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल दो वर्ष होने की अवधि: 04 अप्रैल 2024 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-49-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल मंडल के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180768.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24, एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-50-2024, कार्य का नाम: 12 शीर चौड़े कीली एफबी फॉब पर उत्कर्ष लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 21774400.00, अग्रिम रातीका रु.: 258900.00, निवादा बंद होने की अवधि: 13-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-51-2024, कार्य का नाम: 12 शीर चौड़े कीली एफबी फॉब पर उत्कर्ष लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180471.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-52-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल मंडल के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180768.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-53-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल मंडल के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180768.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-54-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल मंडल के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180768.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-55-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल मंडल के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180768.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24 एवं समय: 11:00, निवादा संख्या: विद्युत-सा.-भो.-नि.-56-2024, कार्य का नाम: भोपाल मंडल मंडल के कार्यों में लगे होने द्वारा लाइट उत्कर्षों की अवधिकारी की कार्रवाई की अवधि: 24 माह, अनुपालित लागत रु.: 180768.00, अग्रिम रातीका रु.: 36100.00, निवादा बंद होने की अवधि: 06-09-24 एवं समय: 11:00